



## प्रेस नोट

### सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 19.09.2023

- गोवध की घटना कारित करने वाले फरार ईनामिया/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को थाना डेरापुर पुलिस द्वारा मुठभेड में किया गया गिरफ्तार ।
- अभियुक्त पर जनपद कानपुर देहात में 25,000 रुपये का ईनाम था घोषित ।
- अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया ।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम, खुलासे व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना डेरापुर पुलिस, स्पेशल टीम व सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए रात्रि गश्त, तलाश वांछित व्यक्ति/ चेकिंग के दौरान आज दिनांक 19.09.2023 को पवनैया मोड के पास 01 व्यक्ति जा रहा था । मुखबिर की सूचना पर जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो वह व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसका पीछा किया तो उक्त व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, आत्म रक्षार्थ जबाबी कार्यवाही में पुलिस पार्टी द्वारा उस व्यक्ति पर फायर किया जिससे अभियुक्त के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। अभियुक्त को पवनैया मोड के पास थाना क्षेत्र डेरापुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त की पहचान मुईन उर्फ चांद पुत्र मुस्लिम निवासी महमूदापुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात के रूप में हुई जो थाना डेरापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 0124/2023 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में पुरुस्कार घोषित (25 हजार रूपये) फरार व वांछित चल रहा था । उपरोक्त अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसके विरुद्ध पूर्व में भी कई अभियोग पंजीकृत हैं । अभियुक्त उपरोक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये । अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना डेरापुर पर मु0अ0सं0 **0130/2023** धारा 307 भा0द0वि0 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मुईन उर्फ चांद पुत्र मुस्लिम निवासी महमूदापुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात ।

बरामदगी -


1. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

**अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –**

1. मु0अ0सं0-90/14 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना डेरापुर कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0-341/16 धारा 435/504/506 भादवि0 थाना डेरापुर कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0-117/19 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना डेरापुर कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0-136/19 धारा 379/411 भादवि0 व 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना डेरापुर कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0-232/20 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना डेरापुर कानपुर देहात।
6. मु0अ0सं0-265/21 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
7. मु0अ0सं0-29/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना डेरापुर कानपुर देहात।
8. मु0अ0सं0-205/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना डेरापुर कानपुर देहात।
9. मु0अ0सं0-0124/2023 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना डेरापुर कानपुर देहात।
10. मु0अ0सं0-130/2023 धारा 307 भा0द0वि0 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना डेरापुर कानपुर देहात।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. प्र0नि0 श्री अनिल कुमार थाना डेरापुर कानपुर देहात।
2. उ0नि0 श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह चौकी प्रभारी कांधी थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।
3. उ0नि0 श्री प्रभात सिंह चौकी प्रभारी मुंगीसापुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।
4. उ0नि0 श्री सुमित नारायण थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।
5. हे0का0 340 हरगोविन्द सिंह थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।
6. का0 अमित थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।
7. का0 देवेन्द्र थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।
8. का0 सुनील थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।
9. स्पेशल टीम जनपद कानपुर देहात।
10. सर्विलांस टीम जनपद कानपुर देहात।



## प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 18.09.2023

- गोवध की घटना कारित करने वाले फरार ईनामिया अभियुक्त को थाना डेरापुर पुलिस को मुठभेड में गिरफ्तार करने में मिली बड़ी सफलता ।
- अभियुक्त पर जनपद कानपुर देहात में 25,000 रुपये का ईनाम था घोषित ।
- अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर किया गया बरामद ।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर, जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर, परिक्षेत्र कानपुर, श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम, खुलासे व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान 'जागते रहो' के क्रम में थाना डेरापुर पुलिस, स्पेशल टीम व सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए रात्रि गश्त, तलाश वांछित व्यक्ति/ चेकिंग के दौरान आज दिनांक 18.09.2023 को रात्रि लगभग 02.10 बजे रसधान डेरापुर मार्ग पर उरसान तिराहे के पास 01 व्यक्ति जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो वह व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिसका पीछा किया तो उक्त व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, आत्म रक्षार्थ जबाबी कार्यवाही में पुलिस पार्टी द्वारा उस व्यक्ति पर फायर किया जिससे अभियुक्त के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। अभियुक्त को उरसान तिराहे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त की पहचान अरशद उर्फ रॉकी पुत्र आरिफ निवासी ग्राम महमूदापुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात के रूप में हुई जो थाना डेरापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 0124/2023 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में पुरुस्कार घोषित (25 हजार रूपये) फरार व वांछित चल रहा था। उपरोक्त अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया था। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमन्चा देशी 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्त अरशद उर्फ रॉकी से बरामदगी के आधार पर थाना डेरापुर में मु0अ0सं0 0129/2023 धारा 307 भा0द0वि0 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अरशद उर्फ रॉकी पुत्र आरिफ निवासी ग्राम महमूदापुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी - 01 अदद नाजायज तमन्चा देशी 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोरा

### आपराधिक इतिहास का विवरण-

2. मु0अ0सं0 0124/2023 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 0129/2023 धारा 307 भा0द0वि0 एवं 3/25 आयुध अधिनियम थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात।

• गोवध की घटना कारित करने वाले फरार ईनामिया/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को थाना डेरापुर पुलिस द्वारा मुठभेड में किया गया गिरफ्तार।

• अभियुक्त पर जनपद कानपुर देहात में 25,000 रुपये का ईनाम था घोषित।  
अभियुक्त पर पूर्व में भी संगीन धाराओं में कई मुकदमें पंजीकृत हैं।

कृपया अवगत कराना है कि आज दिनांक 19.09.2023 को मुखबिर खास की सूचना पर थाना डेरापुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना डेरापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0124/2023 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में वांछित चल रहे 25,000 रुपये के इनामिया/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त मुईन उर्फ चांद पुत्र मुस्लिम को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड में घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।